हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2015 की चतुर्थ नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति
2– श्री पी0सी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त)
3– श्री डी.डी. शर्मा, विशेष सचिव(वित्त)
4– श्री दिनकर बुड़ाथोकी, शिक्षा निदेशक
5– डॉ0 एस0एस0 कौशल, अधिष्ठाता आयुर्विज्ञान संकाय
6– आचार्य पी0एन0 बंसल, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृष्य कलाएं
7– श्री कृष्ण बैद्य, प्राचार्य
8– आचार्य सतीश चन्द भढवाल
9– श्री देवी राम वर्मा, अनुभाग अधिकारी
10–बम्बर ठाकुर, नामिती कुलाधिपति
11–डॉ0 अनुराग शर्मा, सह–आचार्य
12–डॉ0 पंकज ललित –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या–1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2015 की चतुर्थ नियमित बैठक*** *में कुलपति महोदय द्वारा सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।*

उन्होंने विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् एवं समग्र विश्वविद्यालय समुदाय की ओर से हिमाचल प्रदेश के नव–नियुक्त राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आचार्य देवव्रत जी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया और आशा व्यक्त की कि उनके ओजस्वी, कर्मठ एवं कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

इसके साथ–साथ उन्होंने निवर्तमान राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह जी का भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में समय–समय पर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया ।

उन्होंने सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया कि राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ, लंदन द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को दो वर्षों के लिए परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

उन्होंने बताया कि दिनांक 22 जुलाई 2015 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह रहे। इस समारोह की अध्यक्षता श्री जगदीश चन्द्र, ई.टी.वी.के प्रमुख ने की । डॉ. अश्विनी कुमार, पूर्व राज्यपाल, नागालैण्ड इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे ।

उन्होंने सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा छंटनी परीक्षा के प्रवेश हेतु 38 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई तथा विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से आरम्भ हो चुका है।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

1. दिनांक 17 जुलाई 2015 को चण्डीगढ़ में केन्द्रीय मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय के तत्वावधान में ***रूसा के सम्बन्ध में आयोजित बैठक*** *में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।*
2. दिनांक 18 जुलाई 2015 को विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केन्द्र में ***पुनश्चर्या कार्यक्रम*** *के अवसर पर व्याख्यान दिया।*
3. दिनांक 21 जुलाई 2015 को विश्वविद्यालय के ***46वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर*** *एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसकी मुख्य अतिथि प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष, श्रीमती प्रतिभा सिंह रहीं।*
4. दिनांक 24 जुलाई 2015 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वावधान में ***पांच दिवसीय काव्यव्याकरणवर्गः का शुभारम्भ*** *विश्वविद्यालय में हुआ।*

5. दिनांक 31 जुलाई 2015 को दैनिक समाचार पत्र **दिव्य हिमाचल** के ***स्वच्छता अभियान*** *कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में एक स्वच्छता अभियान रैली निकाल कर सफाई की गई, जिसमें प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राओं ने भाग लिया।*

6. दिनांक 4 अगस्त 2015 को हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमन्त्री ***डॉ. यशवंत सिंह परमार की 109वीं जयन्ती*** *पर उन्हें स्मर्णांजलि अर्पित की गई।*
7. दिनांक 4 अगस्त 2015 को ही विश्वविद्यालय ***खेल–कूद एवं अन्य पाठ्येत्तर*** *गतिविधियों की परिषद् से सम्बधित बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रदेष के लगभग सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापकों ने भी भाग लिया।*
8. दिनांक 6 अगस्त 2015 को विश्वविद्यालय ***सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र*** *के नए सत्र के शुभारम्भ अवसर पर अधिष्ठापन कार्यक्रम आयोजित किया गया।*
9. दिनांक 10 अगस्त 2015 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में ***"नीति आयोग पीठ"*** *की सलाहकार समिति में विशेषज्ञ की भूमिका निभाई।*
10. दिनांक 11 अगस्त 2015 को ***विश्वविद्यालय अनुदान आयोग*** *द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।*

तत्पश्चात् उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 10–7–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 10–7–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 10–7–2015 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 10–7–2015 में लिए गए निर्णयों का निम्नलिखित संशोधन/टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया :–

(मद संख्या–6): कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में पहले से साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण किये गये चार (4) भवनों व समिति द्वारा प्रस्तावित भवनों

तथा अन्य दो शौचालयों के साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया ताकि पहले से किये गये अनुबन्ध की समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त कार्यों का समयबद्ध आबंटन किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि वाह्यकरण किये गये एजैन्सी के कर्मचारियों की उपस्थिति सम्बन्धित एजैन्सी के निरीक्षक द्वारा ही ली जायेगी और साफ–सफाई के कार्यों का समग्र निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सफाई निरीक्षक (Sanitary Inspector) का पद जो पिछले तीन वर्षों से रिक्त पड़ा है, को भरने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक उक्त पद भरा नहीं जाता, उक्त एजैन्सी द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण मण्डल अपने स्तर पर करेगा । परिषद् ने यह भी कहा कि भविष्य में इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय ले ।

(मद संख्या–13): कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में पहले से साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण किये गये छात्रावासों व समिति द्वारा प्रस्तावित छात्रावासों के साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया ताकि पहले से किये गये अनुबन्ध की समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त कार्यों का समयबद्ध आबंटन किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि वाह्यकरण किये गये एजैन्सी के कर्मचारियों की उपस्थिति सम्बन्धित एजैन्सी के निरीक्षक द्वारा ही ली जायेगी और साफ–सफाई के कार्यों का समग्र निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सफाई निरीक्षक (Sanitary Inspector) का पद जो पिछले तीन वर्षों से रिक्त पड़ा है, को भरने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक उक्त पद भरा नहीं जाता, उक्त एजैन्सी द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण मुख्य छात्रापाल अपने स्तर पर करेगें। परिषद् ने यह भी कहा कि भविष्य में इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय ले ।

<u>मद संख्या–4:</u> कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अंतर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना।

.....

कुलपति महोदय ने उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की है ।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से निर्धारित अवधि के अन्दर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: कश्मीरी प्रवासियों को सत्र 2015–2016 से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छूट देने के बारे में मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकन एवं उचित आदेश हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा D.O. No.F.1-13/2010 CPP-II दिनांक 23–3–2015 जारी निर्देशों के अनुरूप कश्मीरी प्रवासियों को सत्र 2015–2016 से विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित छूट देने का निर्णय लिया :–

i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.

iii) Waiving off domicile requirements.

मद संख्या–7: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 08–07–2015 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 08–07–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया :–

(मद संख्या–12): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान में स्वः–पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत गैर–शिक्षक कर्मचारियों के पदों का सृजन संस्थान की आवश्यकता को देखते हुए वहां स्वः–पोषित योजना के अंतर्गत किया जाना चाहिए और भविष्य में इन कर्मचारियों का नियमितीकरण संस्थान की स्वः–पोषित योजना के अंतर्गत ही किया जाये।

श्री देवी राम वर्मा ने यह भी कहा कि स्वःपोषित योजना एवं प्रोजैक्टों में नियुक्त कर्मचारियों को कहीं तो विश्वविद्यालय में मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है और कहीं इन्हें स्वः–पोषित योजना के अंतर्गत ही नियमित किया जा रहा है इस तरह विश्वविद्यालय में स्वःपोषित योजना एवं प्रोजैक्टों के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए दोहरे मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं । जैसा कि **व्यस्क शिक्षा प्रोजैक्ट** (अब आजीवन शिक्षा विभाग) में कार्यरत श्री हेमन्त कुमार, अधीक्षक और श्रीमती राधा शर्मा, अधीक्षक(निःसंवर्ग) के मामले में हुआ है जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् के निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया था जबकि HP STEP के विश्वविद्यालय में विलय किये गये कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में निःसंवर्ग रखा गया है। अतः उन्होंने कहा कि HP STEP के कर्मचारियों की तर्ज पर श्री हेमन्त कुमार, अधीक्षक और श्रीमती राधा शर्मा, अधीक्षक(निःसंवर्ग) को भी निःसंवर्ग रखा जाये, ताकि उनके विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में आने से अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त श्री हेमन्त कुमार से वरिष्ठ कर्मचारियों जो इनसे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं के वेतन को श्री हेमन्त कुमार के समकक्ष किया जाये। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी समय–समय पर कुलपति महोदय से अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने मांग की कि प्रोजैक्टों/स्वयं–पोषित संस्थानों में नियुक्त कर्मचारियों/शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय एक अलग नीति बनाए ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ अन्याय न हो । जिस पर माननीय कुलपति जी ने परिषद् को अवगत करवाया कि मामले का परीक्षण करवा कर इस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।

(मद संख्या–13): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में विश्वविद्यालय की स्थापना अर्थात 1970 से कुक व मैस हैल्पर की संख्या वही है जबकि इसके उपरान्त विश्वविद्यालय में कई नये छात्रावास अस्तित्व में आये हैं । श्री देवी राम वर्मा ने कहा विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में कार्य कर रहे कुक व मैस हैल्पर को नियमित करने के लिए अलग से पदों का सृजन किया जाये ।

इस पर परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में कार्य कर रहे कुक व मैस हैल्पर के लिए पदों का सृजन करने के लिए मामला पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

(मद संख्या–15)(iv): कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि Junior Office Assistant (IT) के सृजित 17 पदों तथा Statistical Assistant के दो पद जो Junior Office Assistant (IT) में परिवर्तित किये गये हैं को शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापित किया जाये ताकि Junior Office Assistant (IT) के पहले से विज्ञापित 48 पदों के साथ उपरोक्त सृजित 19 पदों की लिखित परीक्षा व व्यक्तिगत साक्षात्कार भी एक साथ आयोजित हो सकें। इन सृजित 19 पदों के विज्ञापन में यह स्पष्ट किया जाये कि जिन अभ्यार्थियों ने इस पद के लिए पिछले विज्ञापन संख्या–3/2015 दिनांक 19–6–2015 के अंतर्गत आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(मद संख्या–15)(ix): श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि वित्त समिति ने Statistical Assistant के दो पदों को समाप्त कर उनके स्थान पर दो पद Junior Office Assistant(IT) के सृजन की सिफारिश की है जबकि विश्वविद्यालय में सृजित Statistical Assistant की शैक्षणिक योग्यता और कार्य Junior Office Assistant(IT) से भिन्न है इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगा गया डाटा Statistical Assistant द्वारा तैयार किया जाता है। अतः उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में Statistical Assistant के पद को समाप्त न किया जाये। इस पर विचार–विमार्श उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि फिलहाल वित्त समिति के निर्णय अनुसार उक्त पदों को समाप्त कर दो पद Junior Office Assistant(IT) के पद सृजित किए जाएं । भविष्य में यदि Statistical Assistant के पद के सृजन की आवश्यकता होगी तो मामला पूर्ण औचित्य सहित वित्त समिति के समक्ष रखा जाए ।

(मद संख्या–17) सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में सी.एण्ड बी. अध्यापक श्रेणी जिन्हें 4–9–14 का लाभ भी मिला है और जिन अध्यापकों ने 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है उन्हें विशेष वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान किया है । अतः उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय में उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जिनकी सेवानिवृत्ति होने में 3 वर्ष या इससे कम समय अवधि शेष रह गई है उन्हें भी इसी तर्ज पर अगले पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाये । जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने प्रकरण को पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–8: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विज्ञापन संख्याः Rectt.-1/2014 दिनांक 8.9.22014 द्वारा विज्ञापित विभिन्न शिक्षक पदों हेतु आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कुलसचिव ने माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त पत्र संख्याः 4–9/71–जी.एस. दिनांक 14–8–2015 जो माननीय कुलपति जी को सम्बोधित था जिसमें कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों हेतु आयोजित साक्षात्कारों में विभिन्न चयन समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तुत न करने का आदेश दिया था बारे कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया । माननीय कुलाधिपति द्वारा इस पत्र में दिये गये आदेशों की अनुपालना करते हुए कार्यकारिणी परिषद् ने विभिन्न चयन समिति की लिफाफों में बंद सिफारिशों को आगामी आदेशों तक न खोलने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–9: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में केन्द्रीय छात्र संघ का गठन लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार अथवा गत वर्ष की भांति उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार करवाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में केन्द्रीय छात्र संघ के चुनाव करवाने के मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में केन्द्रीय छात्र संघ के चुनाव परिषद् द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से **नामांकन आधार पर दिनांक 24–31 अगस्त, 2015 के मध्य** आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने अप्रत्यक्ष रूप से **नामांकन आधार पर** चुनाव करवाने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कुलपति महोदय को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया ।

मद संख्या–10: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02–04–2015 में प्रस्तुत विभिन्न मदें अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित संलग्नकों सहित कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 02–04–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्नलिखित संशोधन के

साथ

अनुमोदित किया :–

यथा–स्थान प्रस्तुत मदें :–

(मद संख्या–1): कार्यकारिणी परिषद् ने स्थायी समिति के निर्णय में संशोधन करते हुए श्री राजन शर्मा रोल नम्बर 34239 स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र की तृतीय तथा चतुर्थ समैस्टर की जून, 2014 में दी गई परीक्षा को विशेष प्रकरण के तौर पर नियमित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की । कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इसे भविष्य के लिए परम्परा नहीं माना जायेगा ।

(मद संख्या–2): कार्यकारिणी परिषद् ने स्थायी समिति के निर्णय में संशोधन करते हुए अर्चना महाजन रोल नम्बर 14666 स्नातकोत्तर अंग्रेजी की द्वितीय समैस्टर की नवम्बर, 2013 व तृतीय समैस्टर की जून, 2014 में दी गई परीक्षा को नियमित कर इनके परीक्षा परिणाम को विशेष प्रकरण के तौर पर घोषित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की । कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इसे भविष्य के लिए परम्परा नहीं माना जायेगा ।

मद संख्या–11: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01–08–2015 में प्रस्तुत विभिन्न मदें अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित संलग्नकों सहित कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 02–04–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि रूसा प्रणाली के बारे माननीय प्रति कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 8–5–2015 तथा 23–5–2015 को हुई बैठकों की सिफारिशें भी कार्यकारिणी परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की जायें । जिस पर प्रति कुलपति महोदय ने कहा कि इसकी एक और बैठक आयोजित की जानी है उसके उपरान्त इन सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

मद संख्या–12: भर्ती एवं पदोन्नति समिति पूर्वाह्न 11–00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अनुभाग अधिकारी, उसके समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों की भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 11–8–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–13: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्याः F.1-2/2009(EC/PS)V(I)Vol-II dated 13.6.2013 को इस विनियम, 2010 के वांक्याश संख्या 6.0.1, 6.0.2, 7.3.0 व अपैंडिक्स–III टेबल–1 की श्रेणी–I,II व III में किए गए संशोधनों को कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने बारे ।

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्याः F.1-2/2009(EC/PS)V(I)Vol-II dated 13.6.2013 द्वारा वर्ष 2010 में जारी किये गये विनियमों के वांक्याश संख्या 6.0.1, 6.0.2, 7.3.0 व अपैंडिक्स–III टेबल–1 की श्रेणी–I,II व III में किए गए संशोधनों को शुद्धिपत्र सहित **संलग्नक** के अनुरूप विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु अनुमोदित किया । परन्तु विश्वविद्यालय में इसे क्रियान्वित करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यदि कोई अन्य संशोधन किया हो तो उसे प्राप्त किया जाये तथा उसे कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तुत किया जाये । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को समयबद्ध अपनाकर लागू किया जाये ।

यथा–स्थान मदें :–

श्री बम्बर ठाकुर

सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने कहा कि वित्त समिति की दिनांक 18–2–2015 को हुई बैठक में संगणक विभाग में कार्यरत दो प्रयोगशाला परिचरों के स्वयं–पोषित योजना से नियमितीकरण करने की सिफारिश की थी जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने मद संख्या–21 दिनांक 31–3–2015 को हुई बैठक में अनुमोदित किया था के नियमितीकरण आदेश अभी तक जारी न करने का प्रश्न उठाया । जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि मामले में आवश्यक कार्रवाई कर परिषद् को इससे अवगत करवाया जायेगा ।

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) ने कहा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाये क्योंकि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के Act 1956 की Section 2 (f) and 12-B के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु स्थायी सम्बद्धता अनिवार्य है तथा महाविद्यालयों को NAAC से प्रत्यय (Accreditation) प्राप्त करने हेतु आवश्यकता होती है । जिस पर परिषद् ने प्रदेश के

राजकीय महाविद्यालयों को महाविद्यालय की स्थापना के 5 वर्ष के उपरान्त निर्धारित शुल्क व अन्य दस्तावेज लेकर स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव(शिक्षा) ने यह आश्वस्त किया कि महाविद्यालयों की ओर से विश्वविद्यालय को जो भी सम्बद्धता शुल्क सम्बन्धी राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत देय होगी, उसका भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालय विश्वविद्यालय को कर देंगे । जहां तक राजकीय महाविद्यालयों से वार्षिक स्थायी सम्बद्धता शुल्क (Annual Permanent Affiliation Continuation fee) लेने का सम्बन्ध है फिलहाल राजकीय महाविद्यालयों को वार्षिक स्थायी सम्बद्धता शुल्क का प्रमाण–पत्र जारी करते हुए यह शुल्क अदा करने को बाध्य न किया जाये ताकि यह महाविद्यालय NAAC हेतु निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर Accreditation प्राप्त कर सकें ।

सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा विश्वविद्यालय के धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में सहायक कुलसचिव के पद का सृजन किया जाये । इसके अतिरिक्त श्री वर्मा ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के अन्य स्थानों पर प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्रों में सहायक कुलसचिव के पद सृजित किया जायें ताकि इन क्षेत्रीय केन्द्रों का कार्य सुचारू रूप चल सके । जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को अलग से वित्त समिति के समक्ष रखा जाये ।

बैठक के अंत में कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के रूसा प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा परिणामों की स्थिति बारे मद परिषद् की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये ताकि कार्यकारिणी परिषद् को विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा परिणामों की वस्तुस्थिति बारे जानकारी रहे ।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)

कुलपति / सभापति